Government of Madhya Pradesh
Department of Backward Classes and Minorities Welfare
पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना(Backward Class Scholarship Scheme)
- पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित छात्रों के लिए(for Students belonging to Backward Class)

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना नियम 2002-03

पिछड़ा वर्ग के पोस्टमैट्रिक विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में कोई विभागीय छात्रावास न होने के कारण पोस्टमैट्रिक स्तर के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2002-03 से पिछड़ा वर्ग छात्रगृह योजना नियम 2002-03 लागू करने तथा योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- यह योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में होगी।
- योजना मध्यप्रदेश के पिछड़े वर्ग के पोस्टमैट्रिक विद्यार्थियों के लिए लागू होगी।
- योजना की पात्रता के लिए विद्यार्थी को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए शासन द्वारा निधारित पात्रता धारक होना आवश्यक होगा।
- विभागीय छात्रावासों में स्थान रिक्त न होने की स्थिति में ही इस योजना का लाभ मिल सके्ंगा।
- कम से कम पाँच या उससे अधिक विद्यार्थियों के सामूहिक रूप से किराए के भवन में रहने पर भवन का किराये, बिजली एवं पानी के देयकों की प्रतिपूर्ति समयलृसमय पर निर्धारित दरों पर सीमा अंतर्गत जिला स्तर पर उपलध बजट से की जायेगी।
- भवन का किराया 250/- रुपये प्रतिमाह की सीमा तक संबंधित प्राचार्य, 750/- रुपये प्रतिमाह की सीमा तक विभागीय जिला अधिकारी (सहायक आयु्‌क्त/जिला संयोजक) तथा इससे अधिक के किराये के भवन लेने को स्वीकृति देने हेतु जिला कले्‌क्टर अधिकृत है।
- किराए के निर्धारण के लिए रुपये 500/- तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा रुपये 500/- प्रतिमाह से अधिक के लिए जिला कले्‌क्टर सक्षम अधिकारी होंगे।
- इस योजना में विद्यार्थियों को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवासी दर से दी जावेगी।
- योजना अंतर्गत प्रासंगिक व्यय समय-समय पर निर्धारित दरों पर देय होंगे।
- यह सुविधा उन विद्यार्थियों को प्राप्त होगी, जो विद्यार्थी पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता रखता हो।
- यह सुविधा उन विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं होगी, जो अध्ययनरत कक्षा में अनुतीर्ण हुआ हो।
- जिले में संचालित होने वाले पिछड़ा वर्ग छात्रगृहों की निगरानी करने के लिए प्रत्येक जिले में एक निगरानी समिति गठित की जावेगी। जिले के कले्‌क्टर की देख रेख में अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण की सदस्यता में गठित समिति समय-समय पर संचालित छात्रगृहों का निरीक्षण करेगी।

- निगरानी समिति यदि संचालित छात्रगृहों में कोई अनियमितता या अवांछनीय गतिविधि पाती है, तो जिले के कलेट्क्टर को यह अधिकार रहेगा, कि वे उस छात्रगृह को बन्द कर दें।

छात्रवृत्ति का उद्देश्य
पिछड़े वर्ग के पोस्टमैट्रिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधा उपलध कराना।

Top

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र
यह योजना समूह मूलक है। पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को जो दूरस्थ अंचलों से संभागीय/जिला मु्ख्यालय में अध्ययन हेतु आते हैं तथा जिनके पास आवास का कोई साधन उपलध नहीं होता है उन्हें इस योजना अंतर्गत आवास सुविधा उपलध कराई जाती है। प्रत्येक छात्रगृह से कम से कम भ् विद्यार्थी रखे जाने का प्रावधान है। छात्रगृह भवन का किराया, बिजली और पानी के देयकों का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा। योजना का कार्य क्षेत्र प्रदेश के संभागीय जिला मु्ख्यालयों में रखा गयाहै।

Top

पात्र हितग्राही
पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रुपये स्त्रभ् से अधिक न हो इस योजना के लिए पात्र होंगे।

Top

हितग्राही चयन प्रक्रिया
छात्रगृह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र छात्रों को अपनी संस्था के प्राचार्य के माध्यम से सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच उपरांत छात्रगृह की व्यवस्था की जाती है।

Top

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया
संभागीय/जिला मुख्यालय के जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/ संबंधित प्राचार्य के माध्ययम से योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

Top

स्वीकृतकर्ता अधिकारी
जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण/संस्था के प्राचार्य

Top

संपर्क
संभागीय/जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित प्राचार्य

Top

Schemes For OBC

- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
- पोस्ट- मैट्रिक छात्रवृत्ति
- विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
- राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण
- सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना
- मेधावी छात्र पुरस्कार नियम-2009
- व्यापम की परीक्षा पुरस्कार
- छात्रगृह योजना नियम 2002-03
- दिल्ली छात्रगृह योजना 2006-07
- छात्रावासों मे छात्रों के प्रवेश हेतु निर्देश

National Informatics Centre

An innovative e-Governance initiative of NIC for Transparent and Responsive Governance.
Designed and Developed by National Informatics Centre, Madhya Pradesh

NIC